प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.02.2026

थाना व जनपद चंदौली

🔷 **थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित व 25000 रुपया के इनामियां अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंदौली, विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक-07.02.2026 को थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर 25000 रुपए इनामिया व मु0अ0सं0 42/25 धारा 305 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त दीपक बिन्द पुत्र गुड्डू बिन्द ग्राम0 खेदन पुरवा सुरहा थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर को कटसीला सर्विस लेन के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे में 1600 रुपया नकद व 01 बाइक बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के दार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.02.2025 की रात्रि में उसने अपने साथियों कौशिक विन्द व रोहित कुमार मौर्य के साथ मिलकर पंचायत भवन पड़या से कम्प्यूटर सेट, इनवर्टर, सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप व प्रिंटर आदि चोरी किए थे। चोरी का कुछ सामान बेच दिया गया तथा शेष सामान मुगलसराय में एकत्र किया गया, जहाँ पुलिस द्वारा कौशिक सहित अन्य साथियों को पकड़ लिया गया था। चोरी के सामान से प्राप्त धनराशि को आपस में बांटा गया, जिसमें अभियुक्त के हिस्से में ₹6000/- आए थे। अधिकांश धनराशि खर्च हो चुकी है तथा वर्तमान में उसके पास ₹1600/- शेष बचे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.दीपक बिन्द पुत्र गुड्डू बिन्द ग्राम0 खेदन पुरवा सुरहा थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर

अपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 348/25 धारा 331(4)/305(ए)/371(2)बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
2.मु0अ0सं0 175/25 धारा 331(4)/305(ए)/371(2)बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3.मु0अ0सं0 42/25 धारा 305/317(2)बीएनएस थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण–

1.प्र0नि0 विजय बहादुर सिंह प्र0नि0 चन्दौली।

2.उ0नि0 मो0 असलम थाना व जिला चन्दौली।

3.हे0का0 सतीश चन्द यादव थाना व जिला चन्दौली।